राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1460/2013/अलवर

सहायक आयुक्त
वृत–बी,वाणिज्यिक कर, अलवर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स विजय इण्डस्ट्रीज
खैरथल,अलवर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री ओ.पी.गुप्ता
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 10.09.2015

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, वृत–बी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 138/आरएसट/2011–12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2012 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 1999–2000 का कर निर्धारण राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2008 को पारित किया गया,जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने दिनांक 05.10.2009 के द्वारा अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि जिन तथ्यों एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषित अन्तर्राज्जीय खरीद को अस्वीकार कर करारोपण किया गया है,उसकी प्रति प्रत्यर्थी व्यहवारी को उपलब्ध कराते हुए तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार आलोच्य अवधि का कर निर्धारण पारित किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर गुजरात से की गई सरसों की खरीद रू. 1,25,88,891/– में से रू. 82,77,405/–की खरीद स्वीकार की गई तथा रू. 43,11,486/–की सरसों की असत्यापित खरीद को राज्य के अन्दर बिना देय क्रय कर अथवा बिक्री कर चुकाया मानी जाकर उक्त रू. 43,11,486/– की सरसों की असत्यापित खरीद पर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से कर रू. 1,72,459/– एवं 180 माह का ब्कयाज रू. 2,69,031/–तथा करापवंचन के कारण अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,44,918/–आरोपित करते हुए कुल मांग राशि रू. 7,86,408/–सृजित की

गई। उक्त मांग राशि के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलीधीन आदेश दिनांक 17.12.2012 पारित कर सृजित मांग को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि नये सिरे से जांच कर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर बिना विचार किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है,जो अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं कर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न चेक पोस्टों का सत्यापन करने के उपरान्त आदेश दिनांक 9.11.2011 पारित किया है,जिसमें यह आधार लिया गया है कि लेखा पुस्तकों में दर्शायी गयी खरीद का सत्यापन प्रत्यर्थी व्यवहारी नही करा सका, इसलिए उन्होंने 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक, अनुचित एवं तथ्यों से परे है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 05.10.2009 की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि का धारा 30 के अन्तर्गत प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण किया गया है किन्तु विवादित कर निर्धारण आदेश पारित करने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया,क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को जांच रिपोर्ट की प्रतियॉ उपलब्ध नही करवाई गई तथा सात दिन पश्चात ही विवादित कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जिन तथ्यों एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषित अन्तर्राज्जीय खरीद को अस्वीकार किया जाकर करारोपण किया गया है, उसकी प्रति प्रत्यर्थी व्यवहारी को उपलब्ध कराते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसा नहीं किया है। उनका कथन है कि

इन्हीं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर की बहस का आधार लेते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही जांच रिपोर्ट की प्रतियॉ उसे उपलब्ध कराई गई। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करना कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व है। इसके अतिरिक्त प्रतिप्रेषित आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना करने के पश्चात आदेश पारित किया जाना चाहिए,जिसका अभाव है। उक्त बिन्दु पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन अपीलाधीन आदेश में किया है।

अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"...उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रकरण में जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के अधिनियम की धारा 30 के तहत पारित किये गये आलोच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2008 में सम्बन्धि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कहते हुए कर आरोपित किया गया था कि गुजरात के जिन व्यवसाईयों से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में सरसों की खरीद की गई है, जांच पर उन व्यवसाईयों ने अपीलार्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधि में सरसों की कोई बिक्री नहीं दिखाई है। जबकि विवादित आदेश में सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधि की आधी से ज्यादा गुजरात से सरसों की खरीद को वाहनों को चेक पोस्ट पर इन्द्राज होने के आधार पर स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रकरण में दिनांक 12.06.2002 को की गई जांच कार्यवाही अप्रासंगिक हो जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की असत्यापित खरीद के सम्बन्ध में दिनांक 12.06.2002 की रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई जांच नहीं की गई है एवं ना ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को मिथ्या साबित किया गया है। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब के साथ आलोच्य अवधि में गुजरात में खरीद गई सरसों के सम्बन्ध में विवरण पेश किया गया था।"

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने उक्त निष्कर्ष देते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दस्तावेजों की नये सिरे से जांच कर निष्कर्षित तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित के लिए निर्देषित किया है,जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है। अतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाय गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य